रजिस्ट्रीं सं. डी. (डी.) 72

REGISTERED No. D. (D.

The Gazette of India

असाघारएा EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

B-1, was is 11 10-900

<u>--\$}</u>₩¥\\$0 सं० 370 नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, नवस्वर 27, 1980/अग्रहाणय-6, 1902 No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1980/Agrahayana 6, 1902

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलद के रूप में रखाजास्के।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिस्चना

गई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1980

सा का नि 662(क). —केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि कर्मचारी भरिष्य निर्मि और प्रकीर्ण उपबन्ध अभिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन ईट

उद्योग अर्थात्, ईटों के दिनिमाण में लगे हुए किसी उद्योग के कर्मचारियों की बावत एक भविष्य निधि स्कीम दनाई जानी चाहिए : अतः केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिरियम,

1952 (1952 का 19) की धारा 4 की उप-भारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को 30 नदम्बर, 1980 से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में जोडती है।

> . सिं. एस-35016(5)/76-थी. एफ.-2 (1)] नवीन चावला, उप-सचिव

989 GI/80

(1367)

Attested

बाहेन्ड, विकास Sé 21/1/1/2

1368 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1980

G.S.R. 662(E).—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) in respect of the employees of the Brick Industry, that is to say, any industry engaged in the manufacture of Bricks;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 30th November, 1980 the said industry to Schedule I of the said Act.

[No. S. 35016(5)/76-PF-II] NAVIN CHAWLA, Dy. Secy.

Attester 1. Why he

वित्तीव जीवित्तारी वार्य प्रकार, एकावर विश्वादः विविध बार्षम्य, विव्यो-दिवे 21/11/12